प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

एकल पीठ - माननीय श्री संजय के अग्रवाल, न्यायाधीश

विविध अपील क्रमांक 369/2001

अपीलकर्ता यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

प्रतिवादीगण रायमुन और अन्य

\-

उपस्थित :

श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से।

श्री बी.पी. बंजारे, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण की ओर से ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(**मोटर यान अधिनियम**, 1988 **की धारा** 173 **के तहत विविध अपील**)

निर्णय

(दिनांक **06-11-2013)**

1. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/अपीलकर्ता ने मोटर यान अधिनियम (संक्षेप में "मोटर यान अधिनियम') की धारा **173** के तहत यह अपील दायर की है, जिसमें प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बैकुंठपुर (कोरिया), श्रृंखला न्यायालय सूरजपुर (सरगुजा), छत्तीसगढ़ (संक्षेप में 'दावा अधिकरण') द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक **38/2001** में

दिनांक **19/02/2001** को पारित अधिनिर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा विद्वान दावा अधिकरण ने दावेदारों द्वारा दायर दावा याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए **12%** ब्याज सहित कुल **1,42,600** रुपये की राशि प्रदान की है।

तथ्य : -

2. इस अपील के निर्णय के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 मृतक छतरू के विधिक प्रतिनिधि होने के नाते, दावेदारों ने माननीय दावा अधिकरण के समक्ष दावा याचिका क्रमांक **38/2001** दायर कर प्रतिकर की मांग की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि दुर्घटना की तारीख यानी **29.01.1999** को, ट्रैक्टर जिसका पंजीकरण क्रमांक एमपी-**27**/बी/**4525** और ट्रॉली जिसका पंजीकरण नंबर एमपी-**27**/बी/**4526** (अपघाती वाहन) था, जिसे प्रत्यर्थी क्रमांक **01 -** रामजीत चला रहा था, जो प्रत्यर्थी क्रमांक **03** से **07** के स्वामित्व में था और अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के साथ बीमित था, ने उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण वाहन चलाते हुए छतरू की मृत्यु कारित किया । दावेदारों ने प्रत्यर्थीयों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से **6,10,000** रुपये तक के प्रतिकर की मांग की थी।

2.2 अपीलकर्ता/बीमा कंपनी ने विद्वान दावा अधिकरण के समक्ष लिखित कथन दाखिल किया और यह तर्क किया कि दुर्घटना के दिन चालक के पास अपघाती वाहन चलाने के लिए वैध और प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति नहीं था। आगे यह तर्क रखा कि मृतक - छतरू दुर्घटना में शामिल वाहन में यात्री के रूप में बैठा था और दुर्घटना में शामिल यान यात्रियों को ले जाने

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के लिए अधिकृत नहीं था, इसका बीमा केवल कृषि प्रयोजन के लिए किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता/बीमा कंपनी दावेदारों को प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

2.3 विद्वान दावा अधिकरण ने साक्ष्यों की सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए हैं:

- दावा अधिकरण ने दावेदारों को **12%** ब्याज सहित कुल **1,42,600** रुपये का प्रतिकर देने का आदेश दिया है।
- मृतक छतरू को गंभीर चोट लगी और उसके बाद प्रत्यर्थी क्रमांक **01** अपघाती वाहन के चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कृत्य के कारण उसकी मृत्यु हो गई।
- दुर्घटना की तारीख को, अपघाती वाहन के चालक के पास अपघाती वाहन चलाने का शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति था और अपघाती वाहन चलाने से पॉलिसी की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है।
- जिस वाहन से यह दुर्घटना हुई, उसका अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के पास विधिवत बीमा था, इसलिए बीमा कंपनी दावेदारों को प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिवक्ताओं का तर्क :

3. अपीलकर्ता/बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल सहित श्री पंकज अग्रवाल अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक रामजीत के पास केवल शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति था, जो वैध नहीं है। वाहन का उपयोग कृषि संबंधी उद्देश्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए करके बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि बीमा कंपनी प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है

क्योंकि ट्रैक्टर की बैठने की क्षमता केवल एक ही है और छतरू निःशुल्क यात्री था, इसलिए बीमा कंपनी को दावेदारों को प्रतिकर देने के दायित्व से मुक्त किया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीयों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. बंजारे ने यह तर्क दिया कि विद्वान दावा अधिकरण द्वारा पारित उपेक्षित अधिनिर्णय विधि के अनुरूप है और मोटर यान अधिनियम की धारा **173** के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है, परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और दावा अधिकरण के अभिलेखों का अध्ययन किया ।

निर्धारण के लिए बिंदु:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक और विधिक तर्कों के आधार पर, इस अपील के निर्धारण के लिए दो बिंदु उत्पन्न होते हैं ।

(i) क्या अपीलकर्ता/बीमा कंपनी इस आधार पर दायित्व से बच सकती है कि अपघाती वाहन के पास केवल शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति था**?**

(ii) क्या अपीलकर्ता/बीमा कंपनी ने यह साबित कर दिया है कि वाहन का संचालन बीमा पॉलिसी के उल्लंघन में किया जा रहा था और अपीलकर्ता/बीमा कंपनी किस प्रकार का अनुतोष पाने की हकदार है**?**

प्रश्न क्रमांक 01 **का निष्कर्ष**

7. दावा अधिकरण ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि चालक के पास अपघाती वाहन को चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति था।

8. क्या बीमा कंपनी इस आधार पर प्रतिकर की राशि देने से बच सकती है कि दुर्घटना के समय वाहन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जिसके पास शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति था, इस प्रश्न

पर सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और *अन्य*[1] के मामले में विचार किया। इसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया है**:**

110: - "(viii): यदि दुर्घटना के समय वाहन को कोई ऐसा व्यक्ति चला रहा था जिसके पास शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति था, तो बीमा कंपनियां प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी होंगी।"

9. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलकर्ता/बीमा कंपनी केवल इस आधार पर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती कि दुर्घटना के समय, अपघाती वाहन को शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अतः, दावा अधिकरण का यह निर्णय कि अपीलकर्ता/बीमा कंपनी प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी है, अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों और कानून पर आधारित है और मैं दावा अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए इस निर्णय की पुष्टि करता/करती हूँ। अतः, इस प्रश्न का उत्तर दावेदारों के पक्ष में दिया जाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष

10. अपीलकर्ता/बीमा कंपनी ने लिखित बयान में यह दलील दी है कि दुर्घटना के समय संबंधित यान का उपयोग गैर-कृषि प्रयोजन के लिए किया जा रहा था और मृतक ट्रैक्टर में निशुल्क यात्री के रूप में बैठा था, इसलिए उसे ट्रैक्टर में बैठने का अधिकार नहीं था।

11. विचारण के दौरान, अपीलकर्ता/बीमा कंपनी ने बी.एस. डिल्लो को अनावेदक साक्ष्य **-1 (2)** के रूप में बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक के रूप में परीक्षण कराया, जिन्होंने कहा कि ट्रैक्टर का

❑[1] (2004) 3 *SCC* **297**

बीमा केवल एक व्यक्ति को ले जाने के लिए किया गया था और ट्रॉली का बीमा केवल चार व्यक्तियों को ले जाने के लिए किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि यदि बीमा पॉलिसी की शर्तों

और नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो बीमा कंपनी किसी भी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के इस गवाह ने यह नहीं बताया है कि बीमा अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है या नहीं और न ही उसने यह बताया है कि ट्रैक्टर में कौन-कौन लोग बैठे हैं। इसके अलावा, बीमा कंपनी ने अपने मामले के समर्थन में पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन को साबित करने के लिए किसी भी स्वतंत्र गवाह का परीक्षण नहीं कराया हैं ।

12. नार्सिनवा बनाम कामत और अन्य बनाम अल्फ्रेडो एंटोनियो डो मार्टिंस और *अन्य*[2] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया है:

> "**14.** अंतिम प्रश्न यह है कि क्या उसके पास वैध चालन अनुज्ञप्ति था। उच्च न्यायालय ने इस बिंदु पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया है। अधिकरण का निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की तुलना में अधिक अस्पष्ट है। श्री शर्मा ने इस बात से इनकार नहीं किया कि दूसरे अपीलकर्ता के पास चालन अनुज्ञप्ति था। उनकी शिकायत यह है कि प्रतिपरिक्षण के दौरान जब उनसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वे इसे प्रस्तुत करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ यह प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया कि उनके पास पिक-अप वैन चलाने का वैध अनुज्ञप्ति नहीं था। यह तर्क हमें विश्वसनीय नहीं लगती। बीमा अनुबंध के उल्लंघन को साबित करने का भार पूरी तरह से बीमा कंपनी पर था। केवल प्रतिपरिक्षण में पूछे गए एक सवाल से यह नहीं कहा जा सकता कि कंपनी ने अपना भार पूरा कर लिया है। दूसरे अपीलकर्ता पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई दायित्व नहीं था जिससे बीमा कंपनी बीमा अनुबंध के तहत अपने दायित्व से बच सके। इसके अलावा, चालन अनुज्ञप्ति जारी करने वाली क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अपने द्वारा जारी और नवीनीकृत किए गए अनुज्ञप्ति धारक को संधारित रखती है। बीमा कंपनी ने अपने आरोप को साबित करने के लिए सबूत पेश किए। यदि कोई सबूत पेश नहीं किया जाता है तो कौन असफल होगा, इस परीक्षण को लागू करने पर स्पष्ट उत्तर बीमा कंपनी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

❑[2] (1985) 2 *SCC* 574

15. संक्षेप में कहें तो, बीमा कंपनी यह साबित करने में विफल रही कि बीमा पॉलिसी के साक्ष्य के अनुसार बीमा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन हुआ था, क्योंकि संबंधित समय पर वाहन चला रहे चालक के पास वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति नहीं था। एक बार जब बीमा कंपनी उस पहलू को साबित करने में विफल हो जाती है, तो बीमा अनुबंध के तहत उसका दायित्व बरकरार और अप्रभावित रहता है और वह व्यापक बीमा पॉलिसी के तहत दिए गए प्रतिकर को पूरा करने के लिए बाध्य होती है।

13. अतः अपीलकर्ताओं/बीमा कंपनी ने पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन को साबित करने में विफल रहे हैं और विद्वान दावा अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय विश्वसनीय, संतोषजनक और निर्णायक साक्ष्यों पर आधारित है, और मैं दावा अधिकरण द्वारा दिए गए इस निर्णय की पुष्टि करता हूँ। अतः इस प्रश्न का उत्तर दावेदारों के पक्ष में दिया जाता है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निष्कर्ष

14. अतः अपील खारिज की जाती है और इस प्रकार, विद्वान दावा अधिकरण द्वारा किया गया गया अधिनिर्णय और ब्याज दोनों ही उचित हैं

व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं नहीं किया जा रहा हैं ।

सही/-
संजय के. अग्रवाल,
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Durga Mehar Adv.